

पत्र संख्या/आर के/ एफ० सी० ए०/
हिमाचल प्रदेश वन विभाग

दिनांक शिमला-2

प्रेषक: वन मंडलाधिकारी(ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला।

प्रेषित: नोडल अधिकारी एवं प्र० अरुणपाल
(एफ० सी० ए०) हि० प्र०

विषय:- **Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021).**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उक्त सड़क की सैन्द्वातिक स्वीकृति क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, उप - कार्यालय, शिमला के पत्र सं० I/79182/2024 दिनांक 07/08/2024 को प्रदान की गई है, जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

शर्तें	उत्तर
A. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है :- i. प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करावाई जाए।	CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की कुल राशि ₹ 91,41,076/- को UTR संख्या RBI 2962480729602 दिनांक 21.10.2024 /2024 को जमा की गयी, इसके अतिरिक्त विभागीय शुल्क व राशि ₹ 5,74,179/- दिनांक 30/09/2024 को HIMGRN संख्या B24K112961 के तहत जमा की गयी। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र रसीद संलग्नित है।
ii. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी। इस सम्बन्ध में बचनबद्धता संलग्नित है।
iii. WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 3.2322 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाए।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननिय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 5.4794 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु 58,60,054/- जमा कर दी उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र रसीद संलग्नित है।
iv. प्रयोक्ता एजेंसी राणी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता एजेंसी ने सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में 91,41,076/- जमा कर ली गई है। उक्त जमा राशि के सन्दर्भ में सुचना पत्र रसीद संलग्नित है।
v. पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाए।	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की गई।
vi. प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जा चुकी है।
vii. प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि साभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका	वन मण्डल शिमला (ग्रामीण) के पास S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

Handwritten signature and date 18/3/25

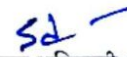
है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	
viii. FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्नित है।
B. वे शर्तें जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ट्र में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अडॉरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज- II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है। i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है। इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 11 है0 के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment/Survey NO. - UPF-14 Bhara Drbla, Vilaage Bhara Darable, Bhajji Forest Range,, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी0ए0 योजना के अनुसार 11 है0 के पौधारोपण का कार्य Block /Compartment/Survey NO. - UPF-14 Bhara Drbla, Vilaage Bhara Darable, Bhajji Forest Range,, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर करेगी और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इस संबंध में वचनबद्धता संलग्न है।
iv. प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रस्तावित भूमि के कब्जे को वन विभाग के नामांतरण में बदलने का मामला भी संबंधित राजस्व प्राधिकारी अर्थात उपायुक्त शिमला जिला-शिमला हिमाचल प्रदेश (पत्र की प्रति के साथ उठाया गया है। इस संबंध में वचनबद्धता संलग्न है।
v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड करेगी।	वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत Degraded वन क्षेत्र की Kml files को अपलोड कर दी जाएगी। इस संबंध में वचनबद्धता संलग्न है।
vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
vii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी राशी जमा करता सुनिश्चित करेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढी हुई NPV की राशी को जमा की जाएगी इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
viii. State Govt shall upload/Provide the administrative approval of the instant proposal duly authenticated by competent authority.	In this regard User Agency submitted that administrative approval of the instant proposal duly authenticated by competent authority is enclosed.
ix. एवेन्यू वृक्षारोपण, राड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुरार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि एवेन्यू वृक्षारोपण, राड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।

x. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xi. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले- आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले- आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xii. वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि जमा करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xiv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xvi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xvii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊंचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xviii. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेशन साइनेज लगाए जाएंगे।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेशन साइनेज लगाए जाएंगे। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xix. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xx. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xxi. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फैका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फैका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xxii. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो,

	के उपयोगकर्ता एजेंसी सह-समाप्ति होगी। इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xxiii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि उपयोगकर्ता एजेंसी अन्य कोई भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जाने वाली शर्तों से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xxiv. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।
xxv. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस संबंध में उपयोगकर्ता एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। उपयोगकर्ता एजेंसी इस शर्त से सहमत है तथा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,


वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

पृष्ठांकन संख्या/ आर के/ एफ० सी० ए०/ 7280
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

दिनांक शिमला-2 11-03-2025

1. अधिशासी अभियंता शिमला ग्रामीण प्रभाग धामी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग धामी और उनसे अनुरोध है कि कृपया उपयोगकर्ता एजेंसी के साथ-साथ प्रभागीय वन अधिकारी (ग्रामीण), वन प्रभाग, शिमला से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दी गई सैद्धांतिक (चरण-1) अनुमोदन में लगाई गई शर्तों के संबंध में उपक्रमों को अपलोड करना सुनिश्चित करें क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसी के पास परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन के माध्यम से इसे अपलोड करने की पहुंच है।


वन मण्डल अधिकारी (ग्रामीण)
वन मण्डल शिमला

RTGS/NEFT ADVICE

A 413

Treasury Code No		SML00	DDO Code	617	SDO Code	00
DDO/SDO Description Executive Engineer Shimla Rural Division HPPWD Dhani						
Pre Assigned Token No.		23120386	Date	18.10.2024	Total Rs.	9141076
To be directly credit to following accounts:						
Sr. No.	Name of Contractor/ Supplier	Payee Code	Account No.	IFSC Code	Name of Bank	Amount
1	HP CAMPA	S061710890	1507061143552399	UBIN0996335	UNION BANK OF INDIA FCS CENTRE, 21/1, III FLOOR, JELITTA TOWERS, MISSION ROAD, BENGALURU-560027	9141076
					TOTAL:-	9141076

(Rupees Ninety one lac forty one thousand & seventy six) only.

It is certified that payee detail & account No. given above are correct.

Received by...
Executive Engineer,
Shimla Rural Division
HPPWD, Dhani.

DDO Signature Engineer,
Pay Office Shimla Rural Division RTGS
HPPWD, Dhani.

OK UTR No. RBI 2962480729602

elt 21/10/24

Full Title of the Project: Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh

Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021

Proposal Submission Date 19/07/2021

Certificate

Point No. A (iii)

Certified that the amount of Net Present Value stands recovered with respect to the proposal for the diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla Forest Division (Rural), Tehsil and District - Shimla, Himachal Pradesh, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil & District - Shimla, HP in compliance to the order dated 28th March, 2008 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) number 202 of 1996 in the matter of T.N. Godavarman Thirumalpad Vs. Union of India, the Govt. of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division) vide letter No. 5-3/2011-FC (Vol.-I) dated 6th January, 2022, the detail of which is as follows :-

Eco Value Class	Forest Type	Rate	Area in hectare	Total amount.
Class VI	Open Forest	10,69,470/-	5.4794	Rs. 58,60,054/-

Place: Shimla
Dated: 6th March, 2025


Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

(A-2023)

E-CHALLAN Government of Himachal Pradesh Department of Finance Treasuries, Accounts & Lotteries		
Valid Upto HIMGRN	26-Nov-2024 B24K112961	Treasury Copy Date: 20-11-2024 04:34:18PM
Department BarCode	Forest 20-11-2024 To 20-11-2024	
Period		
DDO	SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA	
Head		₹ Amount 574179
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTMEN		
Total/Net Amount		574179
In words	Five Lakh Seventy Four Thousand One Hundred Seventy Nine	
Payee Detail		
Licence/Vehicle/Permit/TIN no.	DTO - SML00-828 RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Department Charges w.r.t. link road from Drawl to Jaishi	
Remitter Name	Divisional Forest Officer Rural Shimla	
Address	Forest Division Shimla Khalini Mist chamber Mob: 6381325385	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Bank CIN No	HIMGRN B24K112961	
Amount	₹ 574179	
Bank	MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA	
Cheque-DD-No.		

NIC-HP B24K112961 e-Challan (IFMS)

E-CHALLAN Government of Himachal Pradesh Department of Finance Treasuries, Accounts & Lotteries		
Valid Upto HIMGRN	26-Nov-2024 B24K112961	Dept Copy Date:- 20-11-2024 04:34:18PM
Department BarCode	Forest 20-11-2024 To 20-11-2024	
Period		
DDO	SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA	
Head		₹ Amount 574179
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTMEN		
Total/Net Amount		574179
In words	Five Lakh Seventy Four Thousand One Hundred Seventy Nine	
Payee Detail		
Licence/Vehicle/Permit/TIN no.	DTO - SML00-828 RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Department Charges w.r.t. link road from Drawl to Jaishi	
Remitter Name:-	Divisional Forest Officer Rural Shimla	
Address:-	Forest Division Shimla Khalini Mist chamber Mob: 6381325385	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Bank CIN No	HIMGRN B24K112961	
Amount	₹ 574179	
Bank	MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA	
Cheque-DD-No.		

NIC-HP B24K112961 e-Challan (IFMS)

E-CHALLAN Government of Himachal Pradesh Department of Finance Treasuries, Accounts & Lotteries		
Valid Upto HIMGRN	26-Nov-2024 B24K112961	Remitter Copy Date 20-11-2024 04:34:18PM
Department BarCode	Forest 20-11-2024 To 20-11-2024	
Period		
DDO	SML00-828- FOREST DIVISION SHIMLA	
Head		₹ Amount 574179
0406-01-800-12-RECEIPT FROM OTHER DEPARTME		
Total/Net Amount		574179
In words	Five Lakh Seventy Four Thousand One Hundred Seventy Nine	
Payee Detail		
Licence/Vehicle/Permit/TIN no.	DTO - SML00-828 RECEIPT FROM OTHER DEPARTMENTS TO COMPENSATION FORESTATION -Department Charges w.r.t. link road from Drawl to Jaishi	
Remitter Name:-	Divisional Forest Officer Rural Shimla	
Address:-	Forest Division Shimla Khalini Mist chamber Mob: 6381325385	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Bank CIN No	HIMGRN B24K112961	
Amount	₹ 574179	
Bank	MANAGER, SBI SHIMLA/UCO JCC CHAKKAR SHIMLA	
Cheque-DD-No.		

NIC-HP B24K112961 e-Challan (IFMS)

Booked by Treasury SML00[M0406000062] on date 26/11/2024

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhama under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	वचन पत्र
(A) vii	में वचन देता हूँ कि इस मण्डल में प्रस्तावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तथा S-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए लंबित नहीं है।

सहायक अभियंता
जलोग उम-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S


Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

No. SML-SR-(57)/2021-709

dated: 19-10-2021

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

(Revised FRA Certificate in supersession of previous certificate issued vide No. SML-SR(57)/2019-63 dated 15-01-2020).

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 05-47-94 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, Jalog for construction of link road from Drawl to Jaishi (proposed for diversion of forest land) in Shimla District Falls within jurisdiction of Mouja Jaishi, Grauo and Drawal, Tehsil Shimia (Rural), District Shimla.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 05-47-94 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Sub-Division Level Committee(S) and the District Level Committee are enclosed as annexure-I to annexure-III.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl. As above.

(Aditya Negi)
District Collector,
Shimla District,
Shimla

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA, HIMACHAL PRADESH**

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2006.

A meeting of the District Level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/Chairpersonship of Shri Amit Kashyap IAS, the then Deputy Commissioner, Shimla on 10-12-2019 at 11.30 AM in which the application(s) of applicants of Gram Sabha Drawal, Karyali, Grauo, Sal, Jaishi claiming rights in village forest area(s) **05-47-94 Hectares** under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee, Shimla (Rural) were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim(s) of following applicant(s) were found to be in order hence admitted:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

Claim(-) of the following applicant(s) were not found in order and hence rejected:-

Sr. No.	Name of applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
		----	Nil---

As informed by SDO (Civil), Shimla (Rural) no application was received from Gram Sabha Drawal, Karyali, Grauo, Sal, Jaishi claiming right in **05-47-94 Hectares** forest area.

Place: Shimla

Date:

**Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Forest Rights Committee,**

Shimla,
District Magistrate
Shimla District
Shimla

(2)

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District
Shimla H.P.

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub- Divisional Committee of Shimla Rural Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship of/ Sh. Neeraj Gupta, SDO (Civil) Shimla (Rural) on dated 26.09.2019 at Shimla (Place) in which the applicants submitted by application/ Department were examined by the President Forest Right Committee, Mouja **Jaishi, Grauo. Drawal** Naib Tehsil Shimla (Rural) District Shimla . As discussions and recommended the same is to be forwarded District Level Committee for approval.

After the scrutiny of the documents and detailed discussions , the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District Level admitted :-

<u>Sr. No. of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of forest Right</u>
1. No claim form anybody has been received.	UPF	05-50-77 hector

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:

<u>Sr. No. of Applicant</u>	<u>Name of Forest</u>	<u>Detail of forest Right</u>
-----------------------------	-----------------------	-------------------------------

OR

As informed by Jaishi/ Drawal, Gram Sabha on application was received claiming rights in 5-50-77 hector forest area.

Place : Shimla

Dated :

[Signature]
SDO(Civil)-Cum-Chairman/Chairperson

[Signature]
Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा वन अधिकार समिति गांव डोल
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक.....

ग्राम सभा वन अधिकार समिति डोल की बैठक आज दिनांक 11-1-2019 को 11:30 AM
बजे स्थान गांव डोल में श्री/श्रीमती संजय की अध्यक्षता में की गई

जिसमें 9/110 गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत D-15, Drawl जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा प्रस्तावित

संस्था निर्माण डोल से जैशी के निर्माण के लिए OU-52-24 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की अनुमति है।) वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों
के अवदेनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस
ग्राम सभा द्वारा नमूनिलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यौरा

1

2

प्रतिलिपि संलग्न है।

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार D-15, Drawl जंगल/वन क्षेत्र
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान डोल
दिनांक 11-1-2019

सचिव Ramesh
वन अधिकार समिति
ग्राम डोल, डा. भरावर,
राज. राजी जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

अध्यक्ष Sanjay
वन अधिकार समिति
ग्राम डोल, डा. भरावर,
राज. राजी जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करपाली
विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 13-02-2019गणपूर्ति 138/590

प्रस्ताव संख्या

विषय लोक निर्माण विभाग/संस्था को प्रस्तावित सड़क ड्रॉल से जैसी
के निर्माण हेतु D-15 ड्रॉल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करपाली की बैठक आज दिनांक 13-02-2019 को 2:20 PM
वजे स्थान करपाली की गई जिसमें P.W.D विभाग/संस्था को प्रस्तावित सड़क ड्रॉल से जैसी
के निर्माण हेतु D-15 ड्रॉल जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 06-52-24 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

ग्राम निवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह
निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक न
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों
के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित हैक्टयर
वन भूमि को सड़क निर्माण निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा की सहमति दी जाती है।

रविश Ramesh
ग्राम अधिकार समिति
ग्राम करपाली
तह. बसन्तपुर
जिला शिमला
दिनांक प्रदेश

प्रधान Sanyal
ग्राम अधिकार समिति
ग्राम करपाली
तह. बसन्तपुर
जिला शिमला
दिनांक प्रदेश



ग्राम पंचायत करपाली
वि०ख० बसन्तपुर जिला शिमला
ग्राम सभा

स्थान करपाली
दिनांक 13-01-2019

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा गांव गांव
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11-1-19
ग्राम सभा वन अधिकार समिती गांव की बैठक आज दिनांक 11-1-2019 को 11.45 Am
बजे स्थान गांव गांव में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई
जिसमें 8/10 गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-19 गांव जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा प्रस्तावित
प्राक निर्माण* काल से जैसी के निर्माण के लिए 03-27-99 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार सतिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों
के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस
ग्राम सभा द्वारा नमूने लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1	<u>प्रतिलिपी सलगन दे</u>		
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र०सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या U-19 गांव जंगल/वन क्षेत्र
इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-19 गांव
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान गांव
दिनांक 11-1-19

Khanuham

Harsh Chau

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Atten

*आगवासी/आगवासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए
**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत
Additional District Magistrate
Shimla, Dist. Shimla 171001

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करपाली
विकास खण्ड वसन्तपुर जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 13-02-2019

प्रस्ताव संख्या 11

गणपूर्ति 138/590

विषय नौ निसर्ग विभाग/संस्था को प्रस्तावित सड़क ड्रोल से जैशी
U-19 ग्राम जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

के निर्माण हेतु हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करपाली की बैठक आज दिनांक 13-02-2019 को 2:30 PM
बजे स्थान करपाली की गई जिसमें PWD विभाग/संस्था को प्रस्तावित सड़क ड्रोल से जैशी
के निर्माण हेतु U-19 Gram जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 03-27-99 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित 03-27-99 हैक्टेयर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा करपाली की सहमति दी जाती है।

स्थान करपाली
दिनांक 13-02-2019

Pradeep Kumar
ग्राम पंचायत करपाली
विकास खण्ड वसन्तपुर
जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश

प्रधान Pradeep Kumar
ग्राम पंचायत करपाली
विकास खण्ड वसन्तपुर शिमला, हिमाचल प्रदेश

Attest

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा गांव साल (वन अधिकार समिति साल)
प्रतिनिधी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 7-2-2019
ग्राम सभा वन अधिकार समिति साल की बैठक आज दिनांक 7-2-2019 को 11.40 AM
बजे स्थान गांव साल में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई
जिसमें 8/10 गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-16 कर वाली जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें विभाग द्वारा

** के निर्माण के लिए 00-24-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
(प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों
के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस
ग्राम सभा द्वारा नमूनलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यापार
1	<u>प्रतिनिधी प्रस्ताव</u>		
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम
1	/
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
अधिकार समिति से प्राप्त सुचना के अनुसार U-16 कर वाली जंगल/वन क्षेत्र

में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान साल
दिनांक 7-2-2019

Additional District Magistrate
Shimla Distt. Shimla-171001

*ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।
उपरोक्त/कार्य के लिए निम्न वन क्षेत्र (कर वाली) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन क्षेत्र
के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

पतितिपी परनाथ

दिनांक 11-1-2019

संख्या 3

वन अधिकार समिति ग्राम सभा ग्राम ग्राम की बैठक आज दिनांक 11-1-19 को 11:00 AM बजे

स्थान ग्राम में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई जिसमें 8/10

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-19 ग्रांट जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें लोकनिर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत संस्कृत से इसी

के निर्माण के लिए 03-27-99 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजदूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनो पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विद्यमान चर्चा के उपरान्त इस वन अधिकार समिति, ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का व्यापक

1. पतितिपी खंलाव 4

नदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करने की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं. *पात्र गांव वासी का नाम

1.

नदनुसार नभ दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति ने प्राप्ता सूचना के अनुसार U-19 ग्रांट जंगल/वन

क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान ग्राम

दिनांक 11-1-19

राज्य वन अधिकार समिति राज्य सरकार, राजस्थान, राजस्थान विभाग द्वारा

*ग्रामवासी/ग्रामवासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

*प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत

Additional District Magistrate Shimla, Distt. Shimla-171001

Annexure V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करघाली
 विचारण स्थान बसन्तपुर जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 13-2-2019गणपति 138/590प्रस्ताव संख्या 11विषय लेक निर्माण विभाग/संस्था को प्रस्तावितके निर्माण हेतु U-16 करघाली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करघाली की बैठक आज दिनांक 13-2-2019 को 2.35 pm
 बजे स्थान करघाली की गई जिसमें P.W.D. विभाग/संस्था को प्रस्तावित लेक के
 निर्माण हेतु U-16 करघाली जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-24-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
 मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

नभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह
 निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक में
 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों
 के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन
 अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली है तथा प्रस्तावित 00-24-19 हेक्टेयर
 वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा करघाली की सहमति दी जाती है।

स्थान करघाली
 दिनांक 13/2/2019

प्रस्ताव
 ग्राम अधिकार समिति
 ग्राम पंचायत, डा. 8
 जिला मुख्यालय
 हिमाचल प्रदेश



प्रधान [Signature]
 ग्राम पंचायत करघाली
 पोस्टां वरान्तपुर शिमला हि.प्र.

Additional District Magistrate
 Shimla-171001

ती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति (जैश)

ग्राम सभा

प्रतिनिधी प्रस्ताव

दिनांक 14-1-2019

ग्राम सभिति ग्राम सभा गोंव जैश की बैठक आज दिनांक 14-1-2019 को 12-00 PM बजे

जैश में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई जिसमें 8/10

ग्राम की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के

सर्त U-19 जैश जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें 10 निवासी विभाग द्वारा 14-1-2019 को

के निर्माण के लिए 01-46-36 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की संजूरी प्रस्तावित है।

अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वारियों के आवेदनों चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस वन अधिकार समिति, ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

सं० पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का प्रकार

प्रतिनिधी संलग्न

दनुसार यह वन अधिकार समिति इन दावे/इन दावों को पारित करने हुए इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करने की सिफारिश करती है।

प्रोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

सं० पात्र गांव वासी का नाम

ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति में प्राप्त सूचना के अनुसार U-19 जैश जंगल/वन

क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

ग्राम सभा जैश
दिनांक 14-1-19
सही करिदास
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा, गोंव जैश
तह. बुज्जा किला शिमला
हिमाचल प्रदेश

प्रमाण केराम
वन अधिकार समिति
ग्राम सभा, गोंव जैश
तह. बुज्जा किला शिमला
हिमाचल प्रदेश

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

*ग्रामवासी/ग्रामवासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन का उपयोग किया जा रहा है।

Annexure-II

अनुसूचित जनजाती और अन्य परम्परागत वन नि

धिकारों की मान्यता अधिनियम 2006

ग्राम सभा
प्रतिनिधि प्रस्ताव

कार रजिस्ट्रार जैश्री

प्रस्ताव संख्या 5
दिनांक 14-1-2019
ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 14-1-2019 को 12.00 PM
वजे स्थान मे श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई
जिसमें U-19 - Jaisri गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में जियें विभाग द्वारा

** को निर्माण के लिए 01-46-36 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग
की मजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों
के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इन
ग्राम सभा द्वारा नमूनेलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं०	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
1	<u>पति/पत्नी स्वतन्त्र ४</u>		
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।
उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं०	*पात्र गांव वासी का नाम
1	<u>/</u>
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की न अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-19 जैश्री जंगल/वन क्षेत्र
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जैश्री
दिनांक 14-1-19

रजिस्ट्रार (जनजात-कोष)
रजिस्ट्रार सहायक
राजस्थान, हा. प्रशासक,
राज. सुवर्णी जिला शिक्षा
विभाग, जयपुर

रजिस्ट्रार
अधिकृत हस्ताक्षर
ग्राम सभा

*ग्रामवासी/ग्रामवासीयों के नाम जिनको इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकारों के दावे के लिए आवेदन किया है।

**प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई है।

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

वन अधिकार जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति साल

ग्राम सभा

प्रतिनिधी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 7

दिनांक 7-2-2019

वन अधिकार समिति ग्राम सभा गांव साल की बैठक आज दिनांक 7-2-2019 को 10.30 Am बजे

स्थान गांव साल में श्री/श्रीमती की अध्यक्षता में की गई जिसमें 8/10

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत U-16 करियाली जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा प्रस्तावित 56 इंच की

के निर्माण के लिए 00-24-19 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

वन अधिकारों पर दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस वन अधिकार समिति, ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्योरा
1.	<u>परमेश्वर साला</u>		
2.			

नदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करने की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र.सं.	*पात्र गांव वासी का नाम
1.	/
2.	

नदनुसार सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार U-16 करियाली जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान साल

दिनांक 7/2/2019

प्रधान
वन अधिकार समिति
गांव साल
तह. राजी विद्या विजया
जिला प्रशासन

गांववासी/ग्रामवासीओं के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
गो जेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Additional District Magistrate Shimla, Dist. Shimla-17100

ग्राम सभा ग्राम पंचायत करियाभी

विचार स्वप्न: शिवपुर जिला शिवपुर (1875)

दिनांक 13-2-2019

गणपति 138/590

प्रगुताव सगुता ॥

विषय लोक निर्माण विभाग/संस्था को प्रस्तावित सूचक डोल रो जैडी
के निर्माण हेतु U-19 जैडी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित

हैक्टियर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

शान सभा ग्राम पंचायत करपाली की बैठक आज दिनांक 13-2-2019 को 2.25 PM
 बजे स्थान करपाली की गई जिसमें P.W.D. विभाग/संस्था को प्रस्तावित सड़क इनले जैशी
 के निर्माण हेतु U-19, जैशी जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित 01-46-36 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की
 मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की गान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों

अधिकारों के दिनों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली है तथा प्रस्तावित 01-46-36 हेक्टर वन भूमि को सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा मतदान कर रही है।

राजीव प्रताप सिंह

प्रधान निराम

धन दायित्वकार समिति

બા.કે.કે. હા. જાણી.

राह. शुक्ली गिंठा शिबरा
दिगाचला प्रवेश

NOTA 

ग्राम पञ्चांगत करगुली

विंशो वसन्तपर शिव

गाम सभा

मन्थान

दिनांक 13-2-2019

Additional District Magistrate,
Shimla Distt. Shimla-171001

जनजाती और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा
प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक 11-1-2019

प्रस्ताव संख्या 4

वन अधिकार समिति ग्राम सभा की बैठक आज दिनांक 11-1-2019 को 11:30 AM बजे

स्थान में श्री/श्रीमती अध्यक्षता में की गई जिसमें 9/10

गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के

अन्तर्गत D-15 Drawl जंगल/वन क्षेत्र में जिसमें PWD विभाग द्वारा स्थापित सड़क के निर्माण के लिए 60-52-24 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।

दावे हेतु ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस वन अधिकार समिति, ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्योरा

1. प्रतिलिपि संलग्न है।

2.

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे ग्राम सभा से अनुमोदन करने की सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्र०सं० *पात्र गांव वासी का नाम

1.

2.

तदनुसार सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार D-15, Drawl जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

दिनांक 11-1-2019

रामेश्वर
ग्राम सभा के सदस्य
श्री/श्रीमती
मुख्य विकास अधिकारी
ग्राम सभा अध्यक्ष

मुख्य विकास अधिकारी
ग्राम सभा अध्यक्ष

*ग्रामवासी/ग्रामवासीयो के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

*प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

Additional District Magistrate
Shimla, Distt. Shimla-171001

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhama under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) i	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ii	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शाई गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

Full Title of the Project: Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021).

Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021

Proposal Submission Date 19/07/2021

Certificate

Point No. B (iii)

प्रमाणित किया जाता है कि तहसील सुन्नी व जिला - शिमला, हिमाचल प्रदेश में ड्रॉल से जैशी, 0/0 से 7/965 KM तक सम्पर्क सड़क के निर्माण के हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण मण्डल धामी PWD के पक्ष में हस्तांतरित 5.4794 हैक्टेयर वन भूमि के एवज में 11 हैक्टेयर वन भूमि में किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र अर्थात् UPF-14 Bhara Drbla, Vilaage Bhara Darable, Bhajji Forest Range,, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा जिसके लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन प्रदान किया जा चुका है। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Place: Shimla
Dated:


Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

ANNEXURE

Full Title of the Project: Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, IIP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh

Online Proposal No. FP/IHP/ROAD/143552/2021

Proposal Submission Date 19/07/2021

Undertaking

Condition No. B (iv)

यह प्रमाणित किया जाता है कि भज्जी वन रेंज के सर्वे/कम्पार्टमेंट संख्या UPF-14 भाराड़ा दराबला वाली वन भूमि शिमला (ग्रामीण) वन प्रभाग के अंतर्गत आती है जिसे उपरोक्त शीर्षक वाली परियोजना के डायवर्जन के बदले में प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) बढ़ाने के लिए प्रस्तावित किया गया है जो है और प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) के लिए प्रस्तावित भूमि का मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है और हिमाचल प्रदेश सरकार के कब्जे में है अर्थात् कब्जा स्वयं ताबे हुकूक बर्तन बर्तनदारन नक्शा बर्तन जैसे कि राजस्व प्राधिकारी द्वारा जमाबंदी वर्ष 2019-2020 में दिए गए नोट में है (जमाबंदी की प्रति Annexure-II के रूप में संलग्न)। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनरोपण (सीए) के लिए प्रस्तावित भूमि के कब्जे को वन विभाग के नामांतरण में बदलने का मामला भी संबंधित राजस्व प्राधिकारी अर्थात् उपायुक्त शिमला जिला-शिमला हिमाचल प्रदेश (पत्र की प्रति Annexure- I के रूप में संलग्न) के पास उठाया गया है तथा वर्तमान में यह मामला उपायुक्त शिमला जिला-शिमला हिमाचल प्रदेश के पास लंबित है।

Place: Shimla
Dated: 6th March, 2025


Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

No. RK/FCA/Drawl to Jaishi/ 5838
Himachal Pradesh Forest Department

From:

Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla.

To:

Deputy Commissioner,
Shimla, District-Shimla Himachal Pradesh

Dated Shimla-2, the 18-1-2025

Subject: - Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhami for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021).

Sir,

Kind attention of the Deputy Commissioner, Shimla is invited to the Sub- Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021 dated 19th July, 2021 vide which the Integrated Regional Office has accorded In-Principal (Stage-I) approval conditional on 7th August, 2023 with respect to the diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhami for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, District Shimla, Himachal Pradesh. Further, the Integrated Regional Office by conveying In-Principal (Stage-1) approval has made an observation at Point No. 2 (iv) that "Proposed CA land, if it is in the name of State Forest Department, then submit documents related to it and notified under IFA 1927, otherwise, submit a copy of the proposed PF. Otherwise, CA land should be transferred and renamed in favour of State Forest Department before due approval, and PF should be notified under IFA, 1927, as per rules, and related documents should be presented" (Copy attached as Annexure-I).

2. In this respect, it is submitted that the Forest land for raising Compensatory Afforestation (CA) for 11 hectare has been proposed in the खसरा नम्बर 482 नयारलु, मोहाल-गराओ, हदबस्त नम्बर 47, पटवार वृत्त करयाली, कानूनगोवृत्त-जलोग, उप- तहसील-सुन्नी, जिला-शिमाल under Survey/Compartment No. UPF-19 Bhara-Drabla of Bhajji Forest Range falls under Shimla (Rural) Forest Division. Presently as per the Revenue record, the Khasra number mentioned in the para 2 above is in the name of Himachal Pradesh Sarkar and possessed by the Himachal Pradesh Forest Department as per note given by the Revenue authority in the Jamabandi year 2019-2020. But, the classification/status of the land is still चरागाह द्रख्तान (Copy of Jamabandi attached as Annexure -II) which in-fact is required to be changed as Demarcated Protected Forest (DPF) as per the instruction/guideline issued by the Ministry of Environment,

Forest and Climate Change, Govt. of India for the Compensatory Afforestation (CA) under the Forest (Conservation) Act, 1980.

Therefore, in this respect, necessary direction to the concerned Revenue Authority may kindly be issued to process the matter to change the classification of the above said Khasra proposed for raising Compensatory Afforestation (CA) as Demarcated Protected Forest (DPF) so that the observation raised by the Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India could be complied with, please.

Encl:- As above


(Dhivya N), IFS,
Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division Shimla.
Tel.No.- 0177-2623412
E-mail: head-fordivshi.hp@hp.gov.in 



राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

एस.सी.ए रसीद संख्या: 5008161923458425

नाम :

पिता/पति :

नकल शुल्क : 1.00

सेवा शुल्क : 20

कुल शुल्क : 21

मोहाल : गराओं

साल : 2019-2020

रकबा ईकाई: है-आ-सै

सीत : उप तहसील जलोग

नानगोवृत : उप तहसील - जलोग

पटवार पृत : करयाती

हद नं. : 47

खेवट नं. : 1

नाम पती या संगान जो

तरुण मय नाम गुजारा अंदा

नम्बरदार करता है व

मुताबला व तहसील शहर

शहर मुआमलाव तदाद

व हवब

1

2

3

सरकार हिमाचल प्रदेश

55 मिन

38

बराखा

खेवट न.

(1)

11.19

माल

6.78

स्वई

4.41

कावरे इस्ट

0.00

माल

0.00

स्वई

0.00

नकाबरे इस्ट

11.19

माल

6.78

स्वई

नाम कारतकार व एहाल

4

ताबे हकूक बर्तन बर्तनद्वारा

मुताबिक नक्शा बर्तन

5

नाम चाह

व दीगर

वसायल

आबमाशी

6

नम्बर खसरा

हाल

482

नयारलू

7

रकबा हर खेत व

मिजान खाता मय

किस्म अराजी

8

हिस्सा या

पैमाना

हकीयत व

तरीका बाड

9

ककल व पटता

बराह खेवट न.

(1)

निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 08-Jan-2025

पृष्ठ संख्या: 1

Full Title of the Project: Diversion of 5.4794 ha. forest land in favour of Executive Engineer, HP PWD, Shimla Rural division, Dhama for the construction of link road from Drawl to Jaishi, RD 0/0 to 7/965, falls within the jurisdiction of Shimla (Rural) Forest Division, Tehsil and District- Shimla, Himachal Pradesh

Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021

Proposal Submission Date 19/07/2021

Certificate

Condition No. B (v)

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत **degraded** वन क्षेत्र की **kml files** को अपलोड किया जाएगा।

Place: Shimla
Dated: 6th March, 2025


Divisional Forest Officer (Rural),
Forest Division, Shimla

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhamsi under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vi	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) vii	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा करना सुनिश्चित करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhamsi under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

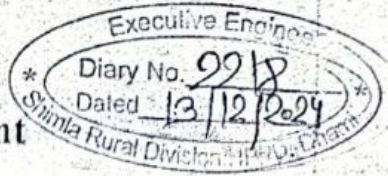
संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) viii	State Govt. shall provide the legible copy of the Administrative approval of the instant proposal, duly authenticated by competent authority.	शर्त मंजूर है तथा the legible copy of the Administrative Approval of the instant proposal, duly authenticated by competent authority has been attached.

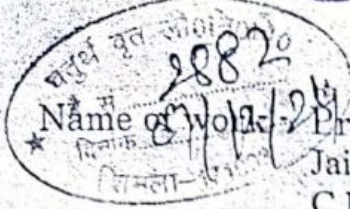
सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी



Himachal Pradesh
Public works Department
OFFICE ORDER



Preliminary estimate for the construction of road from Drol to Village Jaishi Km. 0/00 to 7/965 (SH:-Formation cutting 5/7 mtr. wide road C.D. works & esential soling km. 0/00 to 7/965).

In exercise of the powers vested in me vide Principal Secretary (Fin.) to the Govt. of Himachal Pradesh Notification No. Fin (C) A (2-) -2/89 dated 04-03-2014, Administrative Approval of amounting to ₹ 286.97 Lakh (Rs. Two crore Eighty Six lacs Ninety Seven Thousand) only & Expenditure Sanction for the above mentioned work amounting to ₹ 25,000/- (Rs. Twenty five Thousand) only is hereby accorded subject to the following conditions:-

- If private land is involved, the land is to be transferred to the name of PWD, by means of gift deeds before start the work.
- If forest land is involved, forest clearance is to be obtained before start the work.
- Subject to Availability of funds.

The necessity and importance of the work has fully been explained in the history sheet of the estimate. The work has appeared in the list of MLA priority Shimla (Rural) Constituency for the year 2020-21.

Engineer-in- Chief,
HP.PWD. Nirman Bhawan Nigam Vihar
Shimla - 171002.

No.PW (R) Estimate Road DA-9 HZ/2024 /WS/-2024-6540-42 Dated: 64/12/2024
Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- The Chief Engineer (Shimla Zone) HP.PWD, Shimla for information.
- The Superintending Engineer, 4th Circle HP.PWD Shimla with approved copy of estimate with reference to his office letter No. No.SE-IV-R-II(Dhami) Misc Est. 20-21 - 10547-49 dated 25-10-2024 for information.
- The Deputy controller (F&A) HP.PWD.Shimla-171002.

Engineer-in- Chief,
HP.PWD.Nirman.Bhawan Nigam Vihar
Shimla - 171002.

Road estimate 4th Circle 2023-24

P.T.O.

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhamsi under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) ix	एवेन्यू वृक्षारोपण , सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आइ आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) x	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xi	केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

UNDERTAKING

विषय:- Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhama under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xii	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

Divisional Forest Officer
C/S Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiii	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

Divisional Forest Officer
C/S Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xiv	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xv	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराएगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhama under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvi	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता

जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xvii	स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फुट ऊंचे सिमेन्ट के खंभों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता

जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xviii	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साईनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता

जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशामी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xix	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यूएलडब्ल्यू/एन वीडब्ल्यूएल /एफएसी /आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अन्डर / ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता

जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S
Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशामी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhama under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xx	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशामी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxi	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गए वृक्षों का पातन नहीं किया जाएगा	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशामी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxii	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह - समाप्ति होगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiii	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग


C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता
शिमला ग्रामीण मण्डल
हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

UNDERTAKING

विषय:-

Diversion of 5.4794 ha. of forest land for the construction of link road from Drawl to Jaishi km 0/00 to 7/965, Tehsil Suni Distt. Shimla HP in favour of Executive Engineer (Rural) HPPWD Division Dhami under the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla H.P. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/143552/2021)

संदर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय
शिमला, हिमाचल प्रदेश पत्रांक एफ सी / एच पी सी / 65 / 2023 दिनांक 07
/08 /2024 द्वारा प्रदान की गई सैद्धांतिक स्वीकृति।

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxiv	यदि अन्य कोई संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी

क्रम संख्या	शर्तें	मंजूर / नामंजूर
(B) xxv	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जाएगी।	शर्त मंजूर

सहायक अभियंता
जलोग उप-मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० जलोग

C/S Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA

अधिशायी अभियंता

शिमला ग्रामीण मण्डल

हि० प्र० लो० नि० वि० धामी